



दिनांक-22/12/2020

थाना राठ

## हत्या की घटना की अभियुक्ता गिरफ्तार

दिनांक 19/12/2020 को सुबह 05.00 बजे यू0पी0-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गल्हिया थाना राठ में पिता ने पुत्र की हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना राठ पुलिस मौके पर पहुंची जहां पर मृतक हिमांशु उर्फ रोहित राजपूत पुत्र सुरेश राजपूत उम्र 07 वर्ष नि0 ग्राम मवई थाना राठ जनपद हमीरपुर का शव उसके मामा सतीश पुत्र रामपाल नि0 ग्राम गल्हिया थाना राठ जनपद हमीरपुर के पशुवाड़े में पडा मिला। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मृतक की माँ सर्वेश कुमारी अपने मायके ग्राम गल्हिया में रहती है व मृतक अपने मामा के लडके के कुँआ पूजन के कार्यक्रम में आया था। मृतक के ननिहाल वालो ने बताया कि उसके पिता सुरेश राजपूत पुत्र टेकचन्द्र नि0 ग्राम मवई थाना राठ जनपद हमीरपुर ने उसकी गला घोटकर हत्या कर दी है। मायके पक्ष से प्राप्त तहरीर के आधार पर मृतक के पिता एवं एक व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0-570/20, धारा-364/302/201 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा क्षेत्राधिकारी राठ व प्रभारी निरीक्षक राठ को मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में साक्ष्य संकलन व पूछताछ कर घटना की सही जानकारी करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त घटना की विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया के दौरान सम्बन्धित व्यक्तियों से पूछताछ से प्रकाश में आया कि रोहित उर्फ हिमांशु उपरोक्त की हत्या उसकी माता सर्वेश कुमारी पत्नी सुरेश कुमार राजपूत नि0 ग्राम मवई थाना राठ जनपद हमीरपुर हाल पता ग्राम गल्हिया थाना राठ जनपद हमीरपुर द्वारा की गई थी। उसने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है।

### घटना का कारण:-

पूछताछ में सर्वेश कुमारी द्वारा स्वीकार करते हुये बताया गया कि उसने ही अपने 07 वर्षीय पुत्र रोहित उर्फ हिमांशु की गला दबाकर हत्या कर दी है। उसका अपने बहनोई नरेन्द्र कुमार के साथ अवैध सम्बन्ध था, जिस कारण उसका पति के साथ झगडा होता रहता था, इसकी वजह से वह अपने 07 वर्षीय पुत्र को पति के पास छोड़कर लगभग 8-9 माह से अपने मायके गल्हिया में आकर रह रही थी। उसके भाई सतीश कुमार का पुत्र पैदा हुआ था, जिसका दिनांक 18/12/2020 को कुँआ पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें उसके कहने पर उसके पति को निमन्त्रण नहीं भेजा गया था। दिनांक 17/12/2020 को बेटा हिमांशु उर्फ रोहित कुमार अकेला उसके पास अचानक घर पर आ गया था। कुँआ पूजन के समय दिनांक 18/12/2020 की शाम को आरोपी सर्वेश कुमारी व उसके बहनोई को उसको बेटे हिमांशु उर्फ रोहित कुमार ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और कहा कि मैं पापा व मामा व नानी से भी बताऊंगा। तब आरोपी सर्वेश कुमारी ने अपनी बदनामी से बचने के लिये एवं हमेशा के लिये अपना कांटा निकालने के लिये हिमांशु उर्फ रोहित कुमार को फुसलाकर पशुवाड़े में ले जाकर गला दबाकर व गले पर पैर रखकर हत्या करके उसकी लाश जानवरो को बांधने वाले बयारा में अरहर के गठुर से छिपा दिया। इस सम्बन्ध में अभियुक्ता सर्वेश कुमारी उपरोक्त को दिनांक 21/12/2020 को ग्राम गल्हिया से गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्ता को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

